न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
28 / 20	अपील	03.12.2020	04.02.2021

नाथूलाल पुत्र गोविन्दा जाति–गुर्जर निवासी–बाढ गुवाडी तहसील–गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर –अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावड़ा –रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय **दिनांक–04.02.2021**

यह अपील अपीलार्थी द्वारा विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, तलावड़ा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नाथूलाल, मुकदमा नंबर–430 / 2016 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक–26.08.2016 इस आशय की पेश की है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 87 रकवा 0.40 हेक्टर किस्म बंजड वाके ग्राम बाढ गुवाडी पर संवत 2073 में अनाधिकृत रूप से फसल तिल व कब्जा बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार तलावडा ने अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये 60 दिन के सिविल कारावास से एवं लगान के 50 गुना शास्ती से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एक तरफा कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। प्रार्थी की तामील गलत रूप से अन्य किसी व्यक्ति पर कराई गई है। प्रार्थी हस्ताक्षर नहीं करता अंगूठा निशानी करता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्मी मानने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्मी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। [illegible] यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से [illegible] किया गया है। पूर्व बेदखली की कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। पटवार हल्का से अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर नहीं मिला है। ऐसे एकतरफा बयानो पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर कानूनी भूल की है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत फहमी में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 26.08.2016 की कोई जानकारी नहीं रही थी। दिनांक 08.11.2020 को थाना सदर गंगापुर सिटी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2023.04.08 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर (स0मा0)

सिपाही अपीलार्थी के वारंट लेकर गांव बाढ गुवाडी पहुॅचा और उक्त निर्णय बावत बताया तब अपीलार्थी ने दिनांक 09.11.2020 को निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। उक्त आदेश की नकल दिनांक 10.11.2020 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की कोई जानकारी अपीलार्थी को हुई है इससे पूर्व उक्त निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है नकल प्राप्ति की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। प्राप्ति की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलार्थी ने अपील में आगे निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा दिनांक 26.08.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी तथा नायब तहसीलदार तलावड़ा से प्रश्नगत भूमि की मौके एवं रेकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल मिसल की गयी। दिनांक 27.1.2021 को अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। रेस्पोडेन्ट या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील नहीं करवाई एवं रेस्पोडेण्ट अनपढ़ है और अंगूठा लगाता है जबकि तामील में दस्तख्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोसेसिंग का पालन नहीं किया गया है एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया। नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा प्रेषित मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट का भी हमने अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया।

धारा 91 के प्रावधानों में स्पष्ट है कि प्रथम अतिक्रमण करने पर मौके से बेदखली तथा लगान व 50 गुना तक शास्ती के प्रावधान है जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण (Subsequent Trespassing) पर लगान के 50 गुना शास्ती व बेदखली के साथ–साथ तीन माह (90 दिवस) तक के सिविल कारावास से [illegible] किये जाने के भी प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय [illegible] भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि प्रार्थी अपीलार्थी ने पूर्व में इसी भूमि पर अतिक्रमण किया हो तथा उसे सक्षम न्यायालय के निर्णय से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो और उसके बाद उसी अतिक्रमी ने उसी भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया हो। हस्तगत मामले में अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2023.04.08 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय ने कही भी उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी को पूर्व में कब भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल करने के साक्ष्य के रूप में बेदखली रिपोर्ट भी कहीं पेश नहीं की है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में हस्तगत अतिक्रमण को कृषि वर्ष सवंत 2073 से पूर्व का अतिक्रमण बताया है।

आदेश

हमारी सुविचारित राय में मामले में अपीलार्थी का अतिक्रमण तो साबित है परन्तु इसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील को आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए 60 दिवस के सिविल कारावास को निरस्त करने का आदेश देते है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने व लगान के 50 गुना शास्ती आरोपित करने का शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांकः—04-02-21को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2023.04.08 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested